## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
### पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 48/2021 तारीख रजू 04.02.2021

1. कन्हैया 2. राजेश 3. रामसिंह 4. बबलू पुत्रान कन्हैया जाति माली निवासी सुमनपुरा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर ......अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामनारायण पुत्र बिशनलाल जाति बैरवा निवासी सुमनपुरा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर । .....रेस्पोडेन्ट

वकील अपीलान्ट्स–श्री जगन्नाथ चौधरी
वकील रेस्पोडेन्टस–श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

निर्णय दिनांकः– 12.03.2021

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 01/2021 मे पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्व धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत खसरा नम्बर 1026/250 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम सुमनपुरा से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एडवोकेट उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि तहत न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा एक वाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी, आरटीएक्ट अपीलान्ट के विरूद्व पेश किया जिस पर अपीलान्ट की तलबी की जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खिलाफ कानून जाकर 183 बी, का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश विधि तरीके से पारित कर दिये गये। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों से परे होने से निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कोई गौर नहीं किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व यह बात स्पष्ट हो गयी थी कि सक्षम न्यायालय उप जिला कलेक्टर खण्डार के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 13:55:00 IST
Reason: SelfAttested

यहॉ मु0नं0 52/2020 कन्हैया वगै. बनाम रामनारायण वगै. विचाराधीन है तथा आ. आर.डी. 1998 में पेज नम्बर 195 में स्पष्ट निर्धारण किया गया है कि नियमित दावा लम्बित होने के दौरान 183–बी की कार्यवाही नियमित दावें के निस्तारण तक कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिये यह तथ्य स्वंय तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में मानती है, इन तथ्यों पर गोर किये बिना उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्व तरीके से पारित किया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट अपने खाते की भूमि अपीलान्ट के खाते की भूमि को मानता है जबकि दोनो आराजी दूर–दूर स्थित है। अपीलान्ट की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पृथक जगह स्थित है जिस पर बुजुर्गो के समय से ही अपीलान्ट्स काबिज काश्त रहकर लाभान्वित होते चले आ रहे है। वर्तमान में अपीलान्ट्स द्वारा उक्त भूमि में चने की फसल काश्त कर रखी है, आराजी खसरा नम्बर 878/220 रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम क्यारदा खुर्द अपीलान्ट्स की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है उक्त ट्रेस में खसरा नम्बर 878/220 काफी बडा खसरा नम्बर है जिसकी तरमीम नहीं हो रही है तथा अपीलान्ट्स ने अपनी खातेदारी की भूमि की तारफेसिंग करा रखी है तथा आराजी खसरा नम्बर 1025/250 रामनारायण की भूमि है जो कि अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि से काफी दूर है रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट्स की भूमि को उक्त प्रार्थना पत्र की आड में जबरन हडपना चाहता है जिसका रेस्पोडेन्ट को कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। अन्त वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में दिये गये तर्को का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि आराजी खसरा नम्बर 1026/250 के हम खातेदार काश्त कार व्यक्ति है तथा जमाबंदी सम्वंत 2076–2079 के अनुसार ही हम खातेदार व्यक्ति है। अपीलान्ट द्वारा हमारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1026/250 पर जबरन कब्जा कर रखा है जिसका प्रार्थना पत्र हमारे द्वारा तहसीलदार खण्डार के यहॉ प्रस्तुत करने पर तहसीलदार खण्डार द्वारा हमारे पक्ष में दिनांक 25.01.2021 को आदेश पारित कर उक्त विवादित भूमि से अपीलान्ट्स को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। यह है कि अपीलान्ट्स द्वारा हमारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1026/250 जबरन कब्जा करने पर हमारे द्वारा थानाधिकारी थाना खण्डार के यहॉ एफ.आई.आर. नम्बर 0350 दिनांक 17.11.2020 को दर्ज करायी गयी तथा मौके पर अपीलान्ट द्वारा झगडा करने के फोटोग्राफस् प्रस्तुत किये है। यह है कि विवादित भूमि पर वर्तमान में हमारी फसल काश्त है जिसको अपीलान्ट्स हडपना चाहते है। अतः में वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 को विधि एवं निमयों के अनुसार सही पारित करना बताया जाकर अपील अपीलान्ट्स खारिज कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश को बहाल रखने बाबत निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 13:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि रेस्पोडेन्ट रामनारायण द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 183 बी, आर.टी.एक्ट अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1026/250 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा पर अपीलार्थीगण ने तार फेनसिंग कर पोल गाडकर कब्जा कर लिया है जिसको पुलिस इमदाद द्वारा अपीलान्ट्स को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा संभलाने बाबत निवेदन करने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण संख्या 1/21 दिनांक 06.01.21 को दर्ज रजिस्टर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर उभय पक्षो को सुना जाकर दिनांक 25.01.2021 को रेस्पोडेन्ट रामनारायण के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से मौके की जॉच कराई गयी मुताबिक पर्चा मौका दिनांक 07.01.2021 के द्वारा पटवारी हल्का ने अपनी मौका पर्चा रिपोर्ट मे यह अंकित किया ग्राम वासियों अनुसार रेस्पोडेन्ट रामनारायण पुत्र बिशन्या जाति बैरवा को खसरा नम्बर 250 में 3.04 बीघा भूमि आवंटित हुई थी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चौसाला में भी रेस्पोडेन्ट रामनारायण के नाम खसरा नम्बर 1026/250 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा दर्ज है राजस्व नक्शा शीट क्यारदा खुर्द तथा सुमनपुरा राजस्व ग्रामो की एक है जो जीर्ण–शीर्ण फटी हुई है, जिससे खसरा नम्बर 250 से सटे हुए खसरा नम्बर 220 की सीमा है जो नक्शा शीट में दिखाई नहीं देती है जिससे यह बताना संभव नहीं है कि रेस्पोडेन्ट रामनारायण पुत्र बिशन्या जाति बैंरवा का कब्जा खसरा नम्बर 250 में है या 220 में है। अदालत मातहत द्वारा केवल पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया जिसमें अंकित किया है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में यदि किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है और उसमें निषेधाज्ञा प्रभाव में नहीं है तो दावा लम्बित होने की स्थिति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु अदालत मातहत द्वारा इस बात पर कतई गौर नहीं किया कि मुताबिक जॉच रिपोर्ट पटवारी हल्का ने स्पष्ट रूप से अपनी जॉच रिपोर्ट में अंकित किया है कि राजस्व नक्शा शीट क्यारदा खुर्द तथा सुमनपुरा राजस्व ग्रामो की एक है जो जीर्ण–शीर्ण फटी हुई है, जिससे खसरा नम्बर 250 से सटे हुए खसरा नम्बर 220 की सीमा है जो नक्शा शीट में दिखाई नहीं देती है जिससे यह बताना संभव नहीं है कि रेस्पोडेन्ट रामनारायण पुत्र बिशन्या जाति बैंरवा का कब्जा खसरा नम्बर 250 में है या 220 में है। खसरा नम्बर 220 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन अपीलान्ट की है जिसको वे बजामने बुर्जुगान से काश्त करते चले आ रहे है। खसरा नम्बर 220 की नक्शासीट व जमाबंदी की नकल भी अपीलान्ट द्वारा पेश की गयी है। खसरा नम्बर 220 का रकबा काफी बडा है जिसकी तरमीम नहीं हो रही है जबकि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 1026/250 में स्थित है जो अपीलान्ट की खातेदारी जमीन से काफी दूरी पर स्थित है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 183 बी के कॉलम नम्बर 3 में यह अंकित है कि जब अपीलान्ट के खसरा नम्बर 878/220 बाबत उप जिला कलेक्टर खण्डार में राजस्व वाद लम्बित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 13:55:00 IST
Reason: SelfAttested

है तथा वाद के लम्बित रहते हुये उक्त धारा 183 की कार्यवाही नहीं चल सकती है। अदालत मातहत द्वारा एक्जूकेश की कार्यवाही किसी भी टिनेन्ट को अगर की जाती है तो उसका समय 15 अप्रेल से 30 जून तक रहता है तथा समय मौके पर किसी भी काश्तकार की फसल मौजूद नहीं हो। अदालत मातहत द्वारा बिना पूर्ण निष्कर्ष पर पहूँचे बिना ही एक पक्ष को लाभ पहूँचाने की गरज से उक्त निर्णय आनन–फानन में पारित किया है जो न्याय की श्रेणी में नहीं आता है। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार खण्डार को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 220 व 250 की नक्शा शीट का सही तरह से अवलोकन कर दोनो खसरा नम्बरो की सीमाये कायम कर दोनो पक्षों को अपना हिस्सा सीमाज्ञान के जरिये बताया जाकर एवं टिनेन्सी एक्ट की धारा 183 के पैरा 3 में अंकित एक्जूकेश की कार्यवाही 15 अप्रेल से 30 जून तक निर्धारित की हुयी है तथा जमीन पडत हो तब ही धारा 183 बी की कार्यवाही सम्पादित करे। पुनः उभय पक्षो को सुना जाकर तथा साक्ष्य सबूत युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 13:55:00 IST
Reason: SelfAttested